तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.03.2023	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी वकील उपस्थित । तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी की बहस है कि विप्रार्थी की अन्य सहखातेदारान् के पास संयुक्त खातेदारी की भूमि ख० स० 829, 1356, 950, 1565/400 व 116 कुल रकबा 10-5624 हैक्टेयर ग्राम रमणिया तहसील सिवाना मे अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी अपने हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। बाल्यावस्था में प्रार्थी को स्नेहवश जवेरिया कह कर, पुकारा जाता था और सामान्य बोलचाल में लाला नाम से सम्बोधित किया जाता है। इस वजह से विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण प्रकिया के दौरान लालूराम के फौत होने पर जवेरिया पुत्र लाला दर्ज हो गया, जबकि प्रार्थी के अन्य प्राप्त दस्तावेजात में उसका वास्तविक नाम जवेरीलाल पुत्र लालूराम दर्ज है। अत: प्रार्थी विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम एवं वल्दियत दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। हमने वकील [illegible] स पर मनन् तथा पत्रावली पर [illegible] साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना [illegible] का अवलोकन [illegible] तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार का वास्तविक नाम जवेरीलाल पुत्र लालूराम ही है तथा प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड व ई-श्रम कार्ड में यही	

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:31:12 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व ... इस हुक्म ...
	प्रविष्टि दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे जवेरिया पुत्र लाला दर्ज होने से प्रार्थी ने दुरुस्ती हेतू आवेदन किया है। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में जवेरिया पुत्र लाला के स्थान पर जवेरीलाल पुत्र लालूराम दुरुस्त किये जाने की अनुशंसा की है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्रामीया तहसील सिवाना के खसरा संख्या 1565/400, 829, 116, 1356 व 950 के राजस्व रिकार्ड की शेष प्रतिलिपियाँ यथावत रखते हुए "जवेरिया पुत्र लाला" के स्थान पर 'जवेरीलाल पुत्र लालूराम' दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरुस्ती प्रतिलिपित करने हेतू आदेशित किया जाता है। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर) Signature Not Verified Digitally signed by Dinesh Bishnoi Date: 2023.07.19 10:51:12 IST Reason: SelfAttested	